

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला:- ए.सी.बी. चौकी कोटा देहात थाना.... प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो, जयपुर प्र0सूरि0संख्या 252/2023 दिनांक 22.09.2023
2. (1) अधिनियम— भ्रष्टाचार निवारण अधि. 1988 (यथा संशोधित 2018) धारा-07
(2) अधिनियम— भारतीय दण्ड संहिताधारा –
(3) अधिनियम.....धाराये –
(4) अन्य अधिनियम धाराये.....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ५५३ समय ६.१५ PM
(ब) अपराध घटने का दिन ... मंगलवार...दिनांक 21.09.2023 ...समय 5.23 पी.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक... 14.09.2023 समय 4.30 पी.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित / मौखिक – हस्तलिखित रिपोर्ट
5. घटना स्थलः— कक्ष सहायक अभियंता, कार्यालय अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड कोटा।
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः— बजानिब दक्षिण—पूर्व व 08 कि.मी.
(ब) पता:- कक्ष सहायक अभियंता, कार्यालय अधिशाषी अभियंता राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड कोटा।

जरायम देही संख्या.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना —

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :-

- (अ) नामः— श्री मुकेश सिंह
- (ब) पिता का नाम — श्री भवानी सिंह
- (स) जन्म तिथी/वर्ष..... उम्र 50 वर्ष
- (द) राष्ट्रीयता.— भारतीय
- (य) पासपोर्ट संख्या..... जारी होने की तिथी.....
जारी होने की जगह.....
- (र) व्यवसाय—व्यवसाय
- (ल) पता — म.न.— 502, पण्डित दीन दयाल उपाध्याय नगर, थाना अनंतपुरा, कोटा

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्टियों संहित :-

- (1) श्री राधेश्याम गुप्ता पुत्र श्री स्व. फूलचंद जाति महाजन उम्र 58 साल निवासी मकान नं.7 डी 15, महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा हाल सहायक अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड कोटा।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने मे विलम्ब का कारणः— शून्य..

9. चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य..... 85,000/- रुपये.....

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो).....

12. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्नालगाये) :-

श्रीमान प्रकरण के हालात इस प्रकार हैं कि दिनांक 14.09.2023 समय 4:30 पी.एम. पर परिवादी श्री मुकेश सिंह पुत्र श्री भवानी सिंह, उम्र 50 साल निवासी म.न.— 502 पण्डित दीन दयाल उपाध्याय नगर, थाना अनंतपुरा कोटा ने श्री कल्याणमल मीणा, उप महानिरीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो, कोटा रेंज, कोटा के समक्ष एक हस्त लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "मैं प. दीनदयाल उपाध्याय नगर 502 थाना अनंतपुरा का रहने वाला हूं। मेरी फर्म सिसोदिया कन्सट्रक्शन कम्पनी के नाम से रजिस्टर्ड है, जिसमें मैं सिविल का कार्य करता हूं। मेरे द्वारा मण्डाना निवासी आदिवासी छात्रावास रिपेयरिंग का कार्य मार्केटिंग बोर्ड (कृषि विपणन बोर्ड) खण्ड कोटा से निविदा के जरिये से स्वीकृत कार्य 2200000 (बाईस लाख रुपये) में प्राप्त किया। उक्त कार्य का भुगतान हेतु बिल लगभग 1700000(सतरह लाख) का हुआ। इस बिल के भुगतान में विलम्ब हुआ तो मैं आज दिनांक 14.09.23 को श्री राधेश्याम गुप्ता से उनके कार्यालय में मिला तो इस बिल के भुगतान के एवज में 2-2 प्रतिशत कमीशन (रिश्वत राशि) अपने स्वयं के लिए, श्रीमति साजिया खान कनिष्ठ अभियंता एवं अधिशाषी अभियंता के लिए कुल 1,02,000 (एक लाख दो हजार रुपये) की मांग की। श्री राधेश्याम

21

गुप्ता ने रिपोर्टिंग कार्य 02 माह देरी से करने के कह कर 1,50,000 (डेढ़ लाख रुपये) पेनल्टी लगाने का कहा। यदि पेनल्टी नहीं देना चाहता हो तो 50,000 (पचास हजार) रुपये अधिशाषी अभियंता के लिए व 30,000रु स्वयं के लिए, कुल 80,000रुपये रिश्वत की मांग की। इस प्रकार बकाया बिल को पास करने की एवज में तीनों अधिकारियों के लिए 102,000 (एक लाख दो हजार) तथा 80,000रुपये पेनल्टी नहीं लगाने की एवज में कुल 182,000(एक लाख बियासी हजार) रुपये रिश्वत राशि की मांग की। मैं श्री राधेश्याम गुप्ता को रिश्वत नहीं देना चाहता, उसे रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं। मेरी श्री राधेश्याम गुप्ता, साजिया खान एवं अधिशाषी अभियंता से कोई रंजिश नहीं है न ही कोई उधार का लेन-देन बकाया है, कार्यवाही करवाएं। श्रीमान उप महानिरीक्षक द्वारा मन उपअधीक्षक को तलब कर उक्त प्रार्थना पत्र सुपुर्द कर परिवादी श्री मुकेश सिंह से परिचय करवाया तथा अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। प्रार्थना पत्र तथा परिवादी की दरयाफ्त से मामला प्रथम दृष्ट्या रिश्वत की मांग का होना पाया गया। परिवादी ने बताया कि श्री राधेश्याम गुप्ता जी जब भी मुझ से रिश्वती राशि की मांग करेंगे मैं जर्य मोबाईल या आपके कार्यालय में आपको सूचित कर दूंगा। इस पर परिवादी को हिदायत कर रुकसत किया गया। प्रार्थना पत्र तथा परिवादी की दरयाफ्त से मामला प्रथम दृष्ट्या रिश्वत की मांग का होना पाया गया।

दिनांक 15.09.2023 समय 12.07 पी.एम. पर परिवादी श्री मुकेश सिंह से मन उप अधीक्षक द्वारा जर्य व्हाट्सएप कॉल कर वार्ता की गई तो परिवादी ने बताया कि आरोपी श्री राधेश्याम गुप्ता अपने कार्यालय में मौजूद नहीं है, जब भी वह मुझसे रिश्वत राशि की मांग करेंगे मैं आपको सूचित कर दूंगा। परिवादी को आवश्यक हिदायत की गई।

दिनांक 18.09.2023 समय 04.42 पी.एम. पर परिवादी श्री मुकेश सिंह ने मन उप अधीक्षक को व्हाट्सएप कॉल कर बताया कि आरोपी श्री राधेश्याम गुप्ता अपने कार्य से बूंदी गए हुए हैं, कार्यालय में मौजूद नहीं है जब भी वह मुझसे रिश्वत राशि की मांग करेंगे मैं आपको सूचित कर दूंगा। परिवादी को आवश्यक हिदायत की गई।

दिनांक 21.09.2023 समय 11.30 ए.एम. पर परिवादी श्री मुकेश सिंह कार्यालय अति. पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो कोटा देहात पर उपस्थित आया तथा बताया कि मैंने पता किया है श्री राधेश्याम गुप्ता एईएन साहब लगभग 12 से 01 बजे के बीच मुझे उनके कार्यालय में मिल जाएंगे तथा मुझसे रिश्वती राशि की बात कर लेंगे। इस पर मालखाने से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर परिवादी श्री मुकेश सिंह को सुपुर्द कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चलाना व बंद करना समझाया गया। श्री असलम खान सउनि को बुलाकर श्री मुकेश सिंह से परिचय करवाया गया तथा बताया कि श्री असलम खान आपके साथ रिश्वत मांग के सत्यापन हेतु जाएंगे। इस पर परिवादी ने बताया कि मुझे फिलहाल कुछ काम है आप श्री असलम जी को लगभग 12.15 पी.एम. पर कृषि विपणन बोर्ड के कार्यालय अनंतपुरा भिजवा देना मैं वही पर मिल जाऊंगा। परिवादी को बताया गया कि श्री असलम खान डिजिटल वाईस रिकॉर्डर लेकर समय 12.15 पी.एम. के लगभग आपको कृषि विपणन बोर्ड, अनंतपुरा के पास मिल जाएंगे जो आपको डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर देंगे। परिवादी श्री मुकेश सिंह को हिदायत कर रुकसत किया गया। समय 12.00 पी.एम. पर श्री असलम खान सउनि को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर हिदायत दी की आप कार्यालय से रवाना होकर समय करीब 12.15 पी.एम. पर राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड कोटा के कार्यालय अनंतपुरा कोटा पहुंच जाना, जहां परिवादी श्री मुकेश सिंह जी आपको मिल जाएंगे, जहां परिवादी को डीवीआर सुपुर्द कर परिवादी को रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु भेज देना एवं परिवादी व आरोपी के मध्य होनी वाली रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को यथासंभव नजदीक रहकर छुपाव हासिल करते हुए देखने व सुनने का प्रयास करना। श्री असलम खान सउनि को मय डीवीआर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु रवाना किया गया। समय 01.10 पी.एम पर श्री असलम खान सउनि मय डीवीआर उपस्थित कार्यालय आया। श्री असलम खान ने बताया कि मैं लगभग 12.15 पी.एम. पर राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड कोटा अन्तपुरा पहुंच गया था जहां थोड़ी देर बाद श्री मुकेश सिंह भी आ गए थे जिन्हे मैंने रिकॉर्डर चलाने व बंद करने की विधि पुनः समझा दी थी। परिवादी श्री मुकेश सिंह डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड कोटा के कार्यालय में श्री राधेश्याम गुप्ता जी एईएन साहब से रिश्वत सम्बंध में बात हुई तो आरोपी ने मुझसे मेरा बिल पास करने की एवज में 80000रु तथा टेबल के 5000रु कुल 85000रु रिश्वती राशि की मांग की है। श्री राधेश्याम गुप्ता एईएन साहब ने रिश्वती राशि आज ही मंगवाई है। कार्यालय से बाहर आकर मैंने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को बंद कर लिया था। परिवादी ने कहा कि मेरे पास रिश्वती राशि की व्यवस्था नहीं है, मैं रिश्वती राशि की व्यवस्था कर आपके कार्यालय में आता हूं। इस पर श्री असलम खान सउनि से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर सुना गया तो श्री असलम खान के कथनों की तार्द हुई। आरोपी द्वारा रिश्वत राशि उसी दिन लेना तय किया गया। ट्रैप कार्यवाही होने की पूर्ण

संभावना होने से समय 1.35 पी.एम पर श्री नरेश कानि. 144 को आयुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण के नाम तहरीर देकर दो स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु नगर निगम कोटा दक्षिण रवाना किया गया। समय 01.50 पी.एम पर परिवादी श्री मुकेश सिंह उपस्थित कार्यालय आया। परिवादी ने बताया कि मैं लगभग 12.20 पी.एम. पर राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड कोटा अन्त्पुरा पहुंच गया था जहां श्री असलम खान जी एएसआई साहब मुझे मिल गए थे तथा रिकॉर्डर चलाने व बंद करने की विधि पुनः मुझे समझा दी थी। मैं डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड कोटा के कार्यालय में श्री राधेश्याम गुप्ता जी ईएन साहब से रिश्वत सम्बंध वार्ता करने हेतु चला गया था, श्री असलम खान जी वही कार्यालय से थोड़ा पहले अपनी उपस्थित छिपाते हुए छिप गए थे। आरोपी से रिश्वती राशि के सम्बंध में बात हुई तो आरोपी ने मुझसे मेरा बिल पास करने की एवज में 80000रु तथा टेबल के 5000रु कुल 85000रु रिश्वती राशि की मांग की है। मेरे द्वारा जब छात्रावास का कार्य किया गया था तब छात्रों के लिए टेबिल बनवाए गए थे, तब श्री राधेश्याम गुप्ता ईएन साहब ने एक टेबिल अपने लिए बनवाने को कहा था लेकिन तब मेटेरियल खत्म होने के कारण मैं उनके लिए टेबल नहीं बनवा पाया था तो आरोपी द्वारा टेबिल के लिए पांच हजार रुपये देने के लिए मुझे कहा गया था। उसी के पांच हजार रुपये सहित कुल 85,000रुपये रिश्वती राशि श्री राधेश्याम गुप्ता, ईएन साहब ने आज ही मंगवाई है। कार्यालय से बाहर आकर मैंने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को बंद कर लिया था तथा श्री असलम जी को सुपुर्द कर सारी बात बताई थी तथा मैं रिश्वती राशि की व्यवस्था करने चला गया था। अभी मेरे पास पूरी रिश्वती राशि की व्यवस्था नहीं हुई है। समय 02.05 पी.एम पर श्री नरेश कानि. 144 मय दो स्वतंत्र गवाहान श्री हरीश मीणा पुत्र बुद्धलाल मीणा जाति मीणा उम्र 20 साल निवासी मकान नं. 243, बृजराज कॉलोनी सिविल लाईन, नयापुरा कोटा हाल कनिष्ठ सहायक व श्री गिरर्ज केवट पुत्र श्री प्रमेश केवट जाति कीर उम्र 26 साल निवासी मकान नं. 115, सेक्टर 6, केशवपुरा कोटा हाल कनिष्ठ सहायक, नगर निगम कोटा दक्षिण को साथ लेकर आया। दोनों स्वतंत्र गवाहान से ट्रैप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान बनने की मौखिक सहमति प्राप्त कर परिवादी से परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों स्वतंत्र गवाहान से पढ़वाकर हस्ताक्षर करवाये गये।

समय 2.15 पी.एम. पर श्री असलम खान सउनि द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को कार्यालय के लैपटॉप में लगाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। रिकॉर्ड वार्ता में परिवादी श्री मुकेश सिंह ने एक आवाज स्वयं की, दूसरी आवाज आरोपी श्री राधेश्याम गुप्ता, सहायक अभियंता की होना पहचान की। चूंकि आरोपी श्री राधेश्याम गुप्ता, सहायक अभियंता ने परिवादी को रिश्वती राशि लेकर उस दिन ही बुलाया था। अतः समयाभाव होने से फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता पृथक से मुर्तिब की गई। समय 2.40 पी.एम. पर परिवादी ने बताया मेरे पास पूरी 85000रु रिश्वत राशि की व्यवस्था नहीं हुई है। शेष रिश्वत राशि मुझे लेकर आनी है। इस पर परिवादी को गोपनीयता की हिदायत कर रिश्वत राशि की व्यवस्था कर लाने हेतु रवाना किया गया। समय 3.45 पी.एम. पर परिवादी रिश्वत राशि 85000रुपये लेकर उपस्थित कार्यालय आया। समय 3.50 पी.एम. पर परिवादी श्री मुकेश सिंह ने दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अपने पास से भारतीय मुद्रा के 500-500 रुपये के 170 नोट कुल 85,000 रुपये निकालकर मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश किये, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. स.	नोट	नोट का नम्बर
1	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	1GR119969
2	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	3EC958367
3	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	3TL566529
4	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	3GT433246
5	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	9PM833197
6	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	1BD703913
7	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	1FU916462
8	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	0PA742271
9	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	4TK913179
10	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	2PN368231
11	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	8QU869680
12	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	0RK225605
13	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	0QW363080
14	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	3DW484748
15	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	1GS586244
16	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	9KL183444
17	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	5DL780861

18	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	4HU296654
19	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	9RG545299
20	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	0DT825746
21	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	6KQ383790
22	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	3NS796866
23	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	6UH132270
24	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	6FR574886
25	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	5HT756027
26	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	6DQ632494
27	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	0AK183949
28	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	1UL473144
29	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	8FG434149
30	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	1EG480264
31	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	4TQ224810
32	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	0KF532026
33	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	3DW958333
34	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	8CT648444
35	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	9GR455254
36	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	4UL597753
37	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	7QK070551
38	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	1SP651749
39	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	8KL375393
40	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	1KK138334
41	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	6NV345162
42	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	9GH580007
43	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	8KG614287
44	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	4GM641086
45	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	9KH845342
46	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	3DQ566537
47	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	9BA692140
48	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	7LV576275
49	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	6RL726196
50	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	3BS131427
51	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	9DG001432
52	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	3MC371653
53	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	5PW074047
54	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	6GK789230
55	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	2CW663795
56	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	3PT351408
57	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	8SB993393
58	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	3WV252621
59	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	2SR928115
60	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	4GT331653
61	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	1UC608146
62	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	1PU433430
63	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	3UE092581
64	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	0AA012414
65	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	8PN037262
66	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	3AU402937
67	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	9WB284082
68	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	0MA173675
69	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	5MQ758137
70	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	1VQ072373
71	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	9HW584742

72	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	1HP140517
73	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	6HT868949
74	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	4VA253883
75	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	8DB952767
76	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	7DV350578
77	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	1BS177635
78	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	8RG072663
79	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	0DU319865
80	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	3AB817240
81	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	1AL056534
82	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	9FV968860
83	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	4CT715458
84	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	1PL941896
85	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	9RE142838
86	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	9RE142837
87	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	9RE142836
88	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	9RE142835
89	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	9RE142834
90	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	1AL056541
91	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	3AM641276
92	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	6DF767424
93	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	3PN407886
94	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	0NL426227
95	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	0QU176203
96	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	0BG304080
97	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	5VK276057
98	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	1KN247003
99	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	7BU838964
100	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	2TT993271
101	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	1VK732320
102	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	4CB138507
103	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	6QR642773
104	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	2AN789143
105	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	6BB801929
106	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	5HF036978
107	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	8TQ860752
108	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	9GR718331
109	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	9WV819055
110	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	1PF407854
111	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	1FE771801
112	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	9WT562714
113	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	9GA472490
114	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	9GU400874
115	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	8WM206032
116	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	5KV124107
117	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	0FN025862
118	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	8TB627411
119	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	8ET734204
120	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	0NQ893016
121	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	1BC637687
122	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	0FU391697
123	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	5NC000115
124	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	3MP853561
125	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	4GR920768

21

126	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	9SL659749
127	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	5DN024209
128	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	3LB323784
129	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	5GR032079
130	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	7CN049520
131	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	7PQ582579
132	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	2DU290403
133	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	0GT962144
134	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	5SR481141
135	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	4BV421762
136	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	6FA970978
137	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	5GG465769
138	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	9DE506511
139	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	2AK082727
140	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	4CS263426
141	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	3KU608983
142	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	1VL940853
143	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	2DG662402
144	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	0PB745815
145	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	5TW842256
146	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	9HP000641
147	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	9FA053023
148	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	8NA657063
149	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	0VW104114
150	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	1GP848185
151	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	6AW934934
152	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	9BS206863
153	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	3AG959632
154	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	4HV927219
155	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	2LM441799
156	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	1BS997547
157	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	5NK619420
158	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	9QS426442
159	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	9WT465404
160	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	9MT461240
161	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	5RL661465
162	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	8HM348893
163	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	4UK008165
164	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	4AC337364
165	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	1TE052503
166	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	6DQ894439
167	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	9AP474117
168	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	3HP781851
169	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	8LT633241
170	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	0SC982487

श्रीमति कीर्ति महिला कानि. 253 के द्वारा मालखाने से फिनोपिथलीन पाउडर की शीशी निकलवाई गई। एक अखबार के ऊपर थोड़ा सा फिनोपिथलीन पाउडर डलवाकर उपरोक्त सभी नोटों पर फिनोपिथलीन पाउडर भली भांति लगवाया गया। गवाह श्री गिराज केवट से परिवादी श्री मुकेश सिंह की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास पहने हुए कपड़ों में मोबाइल के अलावा अन्य कोई वस्तु इत्यादि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोपिथलीन पाउडर लगे नोटों में से श्रीमति कीर्ति महिला कानि. 253 से सीधे ही परिवादी की पहनी हुई पेंट की साईड की दांयी जेब में में रखवाए गए। एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवा कर उसमे एक चम्च सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्रीमति कीर्ति महिला कानि. 253 के फिनोपिथलीन पावडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को छुबोकर धुलवाया गया

तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोपिथलीन व सोडियम कार्बोनेट पावडर के आपसी मिश्रण की प्रतिक्रिया को दृष्टान्त देकर सम्बधितों को समझाया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलावे और ना ही पावडर लगे नोटों को रास्ते में अनावश्यक रूप से हाथ लगावे। आरोपी व्यक्ति के मांगने पर ही उक्त पावडर लगे नोटों को अपनी पैंट की जेब से निकाल कर उसे देवे तथा उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात ट्रेप पार्टी के सदस्यों की ओर अपने सिर पर दोनों हाथ फेरकर या मन पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल फोन पर मिसकॉल कर ईशारा करे। मन पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर परिवादी के मोबाईल में सेव करवाये गये। इसके बाद गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया। फिनोपिथलीन पाउडर की शीशी जरिये श्रीमति कीर्ति महिला कानि. 253 के वापस मालखाने में रखवाई गई। नोटों पर पावडर लगाने में प्रयुक्त अखबार व प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया। श्रीमति कीर्ति महिला कानि. 253 के दोनों हाथों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाया जाकर कार्यालय में ही छोड़ा गया। कार्यवाही में काम में आने वाली कांच की शीशियां मय ढक्कन को पानी व साबुन से अच्छी तरह साफ करवाया गया। ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि परिवादी के आसपास नजदीक रहकर परिवादी एवं आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन-देन को देखने एवं वार्ता को सुनने का प्रयास करे। इसके पश्चात सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी को देकर उसे चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझाई गई तथा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी की पैंट की साईड की बांधी जेब में रखवाया गया तथा हिदायत दी गई कि आरोपी से होने वाली बातचीत को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करे। समय 4.58 पी.एम. पर परिवादी की कार में श्री असलम खान स.उ.नि. को परिवादी के साथ रवाना कर उनके पीछे मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय पृथ्वीराज भीणा पुलिस निरीक्षक मय लेपटॉप, ट्रेप बॉक्स, प्रिंटर आदि को लेकर प्राईवेट कार से रवाना हुआ तथा श्री नरेश कानि. व पवन कानि. को सरकारी मोटरसाईकिल से एवं गिरिराज कानि. को प्राईवेट मोटरसाईकिल से पीछे पीछे आने की हिदायत की गई। समय 5.16 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप पार्टी भामाशाह मण्डी रोड कार्यालय अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड कोटा के पास पहुँचा। जहाँ परिवादी मय श्री असलम खान स.उ.नि. उपस्थित मिला। पीछे-पीछे ही श्री नरेश कानि., पवन कानि. व श्री गिरिराज कानि. उपस्थित आये। समय 5.17 पी.एम. पर परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू करवाकर मुनासिब हिदायत कर रिश्वत राशि देने हेतु रवाना किया। मन उप अधीक्षक पुलिस मय ट्रेप पार्टी व दोनों स्वतंत्र गवाहान भामाशाह मण्डी रोड पर कार्यालय अधिशाषी अभियंता राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड, कोटा के आस-पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे के इंतजार मे मुकीम हुए। समय 05:23 पी.एम. पर परिवादी श्री मुकेश सिंह सिसोदिया ने कार्यालय राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड कोटा के मैन गेट से बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत राशि प्राप्त करने का पूर्व निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप टीम के सदस्यों के परिवादी श्री मुकेश सिंह सिसोदिया के पास पहुँचा तथा परिवादी से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस परिवादी के पीछे पीछे मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व एसीबी जाब्ता के आरोपी राधेश्याम गुप्ता, सहायक अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड कोटा के कक्ष में पहुँचा। जहाँ एक अधेड उम्र का व्यक्ति पैंट शर्ट पहने हुए अपनी टेबल कुर्सी पर बैठकर काम करता हुआ मिला। परिवादी ने अधेड व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही सहायक अभियंता श्री राधेश्याम गुप्ता है, जिन्होंने मुझसे अभी अभी मेरी फर्म सिसोदिया कन्सट्रक्शन द्वारा मण्डाना स्थित राजकीय छात्र आवासीय विद्यालय में करवाये गये रिपेयरिंग कार्य के लगभग 17,00,000रुपये के बिल पास करने की एवज में दिन में हुई वार्तानुसार 85,000रुपये अपने हाथ में लेकर अपनी टेबल की दाहिनी दराज में रख लिये हैं। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा राधेश्याम गुप्ता, सहायक अभियंता को अपना व हमराहीयान का परिचय देकर आने के उद्देश्य से अवगत कराया तो वह अत्यंत घबराने लगा और गहरी सांस लेने लगा। मन उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी को तसल्ली देकर नाम पते पूछे तो व्यक्ति ने अपना नाम श्री राधेश्याम गुप्ता पुत्र श्री स्व. फूलचंद जाति महाजन उम्र 58 साल निवासी मकान नं. 7 डी 15, महावीर नगर विस्तार योजना कोटा हाल सहायक अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड कोटा होना बताया। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी श्री राधेश्याम गुप्ता से पूछा कि आपने अभी अभी परिवादी श्री मुकेश सिंह से 85,000रु किस काम की एवज में लिये हैं, तो आरोपी ने बताया कि मैने श्री मुकेश सिंह की फर्म सिसोदिया कन्सट्रक्शन द्वारा मण्डाना स्थित राजकीय छात्र आवासीय विद्यालय में रिपेयरिंग कार्य के 17.37 लाख रुपये के बिलों को पास करने की एवज में 85,000रुपये डेढ-डेढ प्रतिशत के हिसाब से बतौर कमीशन अपने लिए तथा एक्सईन साहब श्री शिवराम जाटव व जे.ई.एन साहब शाजिया खान के लिए लिये हैं। हमारे कार्यालय में बिल बनाने के लिए संविदाकर्मी श्री मोहम्मद गौरी कम्प्यूटर ऑपरेटर का काम करता है। इस रिश्वत राशि में मैने गौरी के लिए भी 2000रुपये लिये हैं। कुल बिल राशि पर धरोहर राशि (एस.डी.) दस प्रतिशत, लेबर सेस एक प्रतिशत के हिसाब से काटकर बिल पास किया जाता है। आज दिन में मूकेश जी मेरे पास आये थे तब मैने बिल की राशि

अनुमानित 14 लाख रूपये बताई थी। हमारे यहां एक काम के लिए एक ही एम.बी. बुक भरी जाती है। इनके काम की एम.बी. नम्बर 2897 जे.ईएन. शाजिया ने तीन चार दिन पहले ही दी थी। मैंने एम.बी. चैक करके फाईनल बिल पास करने के लिए एम.बी. में आज रिश्वत राशि प्राप्त करते ही नोट लगा दिया परन्तु नियमानुसार फारवडिंग लैटर(अग्रेषण पत्र) तैयार नहीं कर परिवादी से रिश्वत प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने पास रख रखा है। नियमानुसार बिल बनाकर एक्सईएन साहब को भेज दिये जाते हैं। आरोपी ने बतौर कमिशन रिश्वत राशि लेना स्वीकार किया है। इस पर परिवादी श्री मुकेश सिंह ने बताया कि मेरी फर्म द्वारा किया गया निर्माण कार्य दिनांक 07.06.2023 को पूर्ण हुआ था। ये काफी समय गुजरने के बाद भी ये मेरे बिल पास नहीं कर रहे थे। मैं 6-7 दिन पहले इनसे मिला तो इन्होंने मुझसे एक्सईएन, जे.ईएन व अपने लिए 2-2 प्रतिशत के हिसाब से कुल 102,000 रूपये तथा कार्य समय पर पूर्ण नहीं होने का भय दिखाकर 150,000 रूपये पैनल्टी लगाने के लिए कहा तथा कहा कि अगर पैनल्टी नहीं देना चाहता है तो 50,000 रूपये अधिशाषी अभियंता तथा 30,000 रूपये स्वयं के लिए कुल 182,000 रूपये की मांग की गई थी। आज जब मैं इनसे मिला तो इन्होंने 85,000 रूपये की मांग की थी, इनकी मांग अनुसार 85,000 रूपये अभी इनको दिये, जो इन्होंने अपने हाथ में लेकर अपनी टेबल की दराज में रख लिये हैं। उसके बाद मैंने बाहर आकर आपको ईशारा कर दिया था। इस पर आरोपी श्री राधेश्याम गुप्ता का दाहिना हाथ श्री नरेश यादव कानि. 144 से व बायां हाथ श्री गिरिराज कानि. 387 से कलाई के ऊपर से पकड़वाया गया तथा आरोपी से रिश्वत राशि के बारे में पुनः पूछा तो आरोपी ने रिश्वत राशि प्राप्त करना स्वीकार कर रिश्वत राशि टेबल की ऊपर की दराज में होना बताया। इस पर कार्यालय परिसर में रखे पानी के कैंपर से एक बोतल में साफ पानी लिया जाकर दो अलग प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाया गया। डिस्पोजल गिलासों में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डुलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, उक्त में से एक डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री राधेश्याम गुप्ता के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो गिलास के घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सील चिट मोहर कर मार्क आर.एच-1, आर.एच-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो गिलास के घोल का रंग मटमैला हो गया, जिसे भी दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सील चिट मोहर कर मार्क एल.एच.-1, एल.एच.-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी द्वारा परिवादी से पैसे लेकर अपनी टेबल में दाहिनी तरफ बनी दराज में रखना बताने पर टेबल की दोनों दराजों की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री गिराज केवट से लिवाई तो आरोपी के टेबल में बनी ऊपर वाली दराज में 500-500 रु के नोटों की दो गड्ढी मिली। जिन्हें स्वतंत्र गवाह श्री गिराज केवट से गिनवाया तो स्वतंत्र गवाह ने नोटों को गिनकर 170 नोट कुल 85,000 रूपये होना बताया। इस पर नोटों के नम्बरों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से फर्द पेशकशी नोट देकर करवाया गया तो हुबहू वही नोट होना पाये गये। बरामदशुदा रिश्वत राशि के नोटों के नम्बरों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	नोट	नोट का नम्बर
1	एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी	1GR119969
2	एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी	3EC958367
3	एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी	3TL566529
4	एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी	3GT433246
5	एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी	9PM833197
6	एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी	1BD703913
7	एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी	1FU916462
8	एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी	0PA742271
9	एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी	4TK913179
10	एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी	2PN368231
11	एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी	8QU869680
12	एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी	0RK225605
13	एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी	0QW363080
14	एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी	3DW484748
15	एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी	1GS586244
16	एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी	9KL183444
17	एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी	5DL780861
18	एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी	4HU296654
19	एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी	9RG545299
20	एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी	0DT825746
21	एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी	6KQ383790

22	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	3NS796866
23	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	6UH132270
24	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	6FR574886
25	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	5HT756027
26	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	6DQ632494
27	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	0AK183949
28	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	1UL473144
29	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	8FG434149
30	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	1EG480264
31	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	4TQ224810
32	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	0KF532026
33	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	3DW958333
34	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	8CT648444
35	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	9GR455254
36	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	4UL597753
37	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	7QK070551
38	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	1SP651749
39	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	8KL375393
40	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	1KK138334
41	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	6NV345162
42	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	9GH580007
43	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	8KG614287
44	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	4GM641086
45	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	9KH845342
46	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	3DQ566537
47	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	9BA692140
48	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	7LV576275
49	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	6RL726196
50	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	3BS131427
51	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	9DG001432
52	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	3MC371653
53	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	5PW074047
54	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	6GK789230
55	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	2CW663795
56	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	3PT351408
57	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	8SB993393
58	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	3WV252621
59	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	2SR928115
60	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	4GT331653
61	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	1UC608146
62	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	1PU433430
63	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	3UE092581
64	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	0AA012414
65	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	8PN037262
66	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	3AU402937
67	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	9WB284082
68	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	0MA173675
69	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	5MQ758137
70	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	1VQ072373
71	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	9HW584742
72	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	1HP140517
73	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	6HT868949
74	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	4VA253883
75	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	8DB952767

76	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	7DV350578
77	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	1BS177635
78	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	8RG072663
79	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	0DU319865
80	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	3AB817240
81	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	1AL056534
82	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	9FV968860
83	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	4CT715458
84	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	1PL941896
85	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	9RE142838
86	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	9RE142837
87	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	9RE142836
88	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	9RE142835
89	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	9RE142834
90	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	1AL056541
91	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	3AM641276
92	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	6DF767424
93	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	3PN407886
94	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	0NL426227
95	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	0QU176203
96	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	0BG304080
97	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	5VK276057
98	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	1KN247003
99	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	7BU838964
100	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	2TT993271
101	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	1VK732320
102	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	4CB138507
103	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	6QR642773
104	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	2AN789143
105	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	6BB801929
106	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	5HF036978
107	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	8TQ860752
108	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	9GR718331
109	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	9WV819055
110	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	1PF407854
111	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	1FE771801
112	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	9WT562714
113	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	9GA472490
114	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	9GU400874
115	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	8WM206032
116	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	5KV124107
117	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	0FN025862
118	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	8TB627411
119	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	8ET734204
120	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	0NQ893016
121	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	1BC637687
122	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	0FU391697
123	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	5NC000115
124	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	3MP853561
125	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	4GR920768
126	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	9SL659749
127	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	5DN024209
128	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	3LB323784
129	एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	5GR032079

130	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	7CN049520
131	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	7PQ582579
132	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	2DU290403
133	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	0GT962144
134	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	5SR481141
135	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	4BV421762
136	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	6FA970978
137	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	5GG465769
138	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	9DE506511
139	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	2AK082727
140	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	4CS263426
141	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	3KU608983
142	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	1VL940853
143	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	2DG662402
144	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	0PB745815
145	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	5TW842256
146	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	9HP000641
147	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	9FA053023
148	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	8NA657063
149	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	0VW104114
150	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	1GP848185
151	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	6AW934934
152	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	9BS206863
153	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	3AG959632
154	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	4HV927219
155	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	2LM441799
156	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	1BS997547
157	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	5NK619420
158	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	9QS426442
159	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	9WT465404
160	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	9MT461240
161	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	5RL661465
162	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	8HM348893
163	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	4UK008165
164	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	4AC337364
165	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	1TE052503
166	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	6DQ894439
167	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	9AP474117
168	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	3HP781851
169	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	8LT633241
170	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	0SC982487

उक्त रिश्वत राशि के नोटों को एक सफेद रंग के कागज के लिफाफे में रखवाकर लिफाफे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। चूंकि रिश्वत राशि आरोपी की टेबल में बनी ऊपर वाली दाहिनी दराज में से बरामद हुई है, अतः दराज (रैक) का धोवन लिया जाना आवश्यक है। इस पर एक अन्य डिस्पोजल गिलास में साफ पानी लेकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल बनाया फिर एक रूई के गीले फोए से उक्त दराज के अंदर रखे कागजों से रगड़कर स्वाब लिया गया। रूई के फोए को उक्त गिलास के घोल में डूबोकर धुलवाया तो गिलास के घोल का रंग गुलाबी हो गया, रूई के फोए के गुलाबी घोल को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सील चिट मोहर कर मार्क C-1, C-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दराज में रखे कागज जिससे स्वाब लिया था, उस कागज पर “पत्रांक 594 दिनांक 23.05.23 को मैसर्स मीरा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, बीकानेर को आर्वाण्टि किया गया,” का उल्लेख हो रखा है, को दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। उक्त रूई के फोए को सुखाकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर मार्क “C” दिया गया। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी से परिवादी के

पेण्डिंग बिल के संबंध पूछा तो आरोपी ने अपनी टेबल पर रखी परिवादी श्री मुकेशसिंह की फाईल तथा एम.बी. 2597 उपलब्ध कराई, जिसका अवलोकन किया गया। परिवादी के बिल भुगतान कराने हेतु मूल फाईल व एम.बी. की आवश्यकता होने से मूल फाईल व एम.बी. नं. 2597 की प्रमाणित फोटोप्रति उपलब्ध कराने हेतु श्री शिवराम जाटव, अधिशाषी अभियंता को पत्रांक एसपीएल-1 जारी किया गया। श्री शिवराम जाटव, अधिशाषी अभियंता द्वारा उक्त पत्रावली व एम.बी. 2597 की प्रमाणित फोटोप्रतियां उपलब्ध कराई गई, जिन्हें बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। रिश्वत मांग सत्यापन एवं वक्त लेनदेन रिश्वत वार्ता दोनों ही परिवादी को दिये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, जिसको परिवादी व रूबरू गवाहान, आरोपी के सामने डीवीआर चालू कर सुना गया तो उक्त रिश्वत मांग सत्यापन एवं वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता में परिवादी के कथनों की तार्फ होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि श्री राधेश्याम गुप्ता, सहायक अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड कोटा ने परिवादी श्री मुकेश सिंह सिसोदिया की फर्म सिसोदिया कन्सट्रक्शन के बिल का भुगतान करने की एवज में रिश्वत राशि की मांग करना, रिश्वत मांग सत्यापन वार्तानुसार 85,000रुपये प्राप्त करना, रिश्वत राशि आरोपी की टेबल में बनी दराज (रैक) से बरामद होना, आरोपी के हाथों व दराज के स्वाब के फोए का धोवन गुलाबी प्राप्त होने से आरोपी का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। फर्द बरामदगी मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 9.17 पी.एम. पर चूंकि आरोपी श्री राधेश्याम गुप्ता का कक्ष छोटा होने के कारण उसमें बैठने की जगह कम है अतः श्री शिवराम जाटव अधिशाषी अभियंता को ट्रेप कार्यवाही से अवगत करवाकर इसी भवन में स्थित उनके कक्ष में अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु सहमति प्राप्त कर समस्त जप्तशुदा आर्टीकल्स, ट्रेप बॉक्स, डीवीआर, लैपटॉप, प्रिंटर, आरोरी श्री राधेश्याम गुप्ता सहायक अभियंता व ट्रेप पार्टी के सदस्यों को लेकर श्री शिवराम जाटव अधिशाषी अभियंता के कक्ष में पहुंचा तथा अग्रिम कार्यवाही की गई। समय 9.20 पी.एम. पर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को श्री असलम खान स.उ.नि. द्वारा कार्यालय के लैपटॉप में लगाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। परिवादी ने रिकॉर्ड वार्ता में एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी श्री राधेश्याम गुप्ता की होना पहचान की। स्वतंत्र गवाहान, आरोपी व परिवादी की उपस्थिति में फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मेरे निर्देशन में श्री असलम खान स.उ.नि. से हुबहु तैयार करवाई गई। फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 11.05 पी.एम पर वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता जो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, को श्री असलम खान स.उ.नि. द्वारा कार्यालय के लैपटॉप में लगाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। परिवादी ने रिकॉर्ड वार्ता में एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी श्री राधेश्याम गुप्ता, सहायक अभियंता की होना पहचान की। स्वतंत्र गवाहान, आरोपी व परिवादी की उपस्थिति में फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेन-देन वार्ता मेरे निर्देशन में श्री असलम खान, स.उ.नि. से हुबहु तैयार करवाई गई। फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई।

दिनांक 22.09.2023 समय 12:00 ए.एम. पर आरोपी श्री राधेश्याम गुप्ता, सहायक अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड कोटा को उनकी आवाज का नमूना देने बाबत् नोटिस क्रमांक दस्ती दिनांक 22.09.2023 दिया गया तो आरोपी ने स्वयं के हस्तलेख से नोटिस नमूना आवाज पर लिखकर दिया कि मैं मेरी आवाज का स्वेच्छा से नमूना सेम्पल नहीं देना चाहता हूँ। नोटिस नमूना आवाज को शामिल पत्रावली किया गया। समय 12.15 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में परिवादी श्री मुकेश सिंह की निशादेही से कार्यालय में लगी लाईटों एवं रोड लाईटों की रोशनी में घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाए जाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 12:50 ए.एम. पर आरोपी राधेश्याम गुप्ता, सहायक अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड कोटा को मन विजयसिंह, उप अधीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो कोटा देहात ने अपने पूर्ण नाम एंव पद का परिचय दिया एंव आरोपी को उसके अपराध को पढ़कर सुनाया। आरोपी को उसकी गिरफ्तारी के आधारों एंव कानूनी अधिकारों से अवगत करवाया जाकर प्रकरण हाजा में हस्ब कायदा गिरफ्तार किया जाकर हिरासत ब्यूरो लिया गया। आरोपी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री हरीश मीणा द्वारा लिवाई गई तो आरोपी की पहनी हुई पेंट की जेब से एक विभागीय पहचान पत्र, आधार कार्ड, मोबाईल फोन सैमसंग ए-30, व 3220रु नकद मिले। गिरफ्तारी की सूचना मौके पर उपस्थित आरोपी के कहेनुसार सहायक कर्मचारी श्री रामलाल को दी गई। जामा तलाशी में मिली नकद राशि 3220रुपये मोबाईल फोन, आधार कार्ड एंव विभागीय पहचान पत्र श्री रामलाल को सुपुर्द की गई। समय 01:10 ए.एम पर कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री असलम खान सउनि से लैपटॉप में लगवाया गया। लैपटॉप में लाईसेंसी एन्टीवायरस संधारित है उससे उक्त डाटा को स्कैन किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई वाईरस/मालवेयर नहीं होना पाया गया। दिनांक 21.09.23 को परिवादी श्री मुकेश सिंह व आरोपी श्री राधेश्याम गुप्ता, सहायक अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड कोटा के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत लेनदेन वार्ता को कार्यालय के लैपटॉप

में लगाकर मेरे निर्देशन में असलम खान सउनि के द्वारा चार पेन ड्राईव तैयार करवाई गई। एक पेन ड्राईव वजह सबूत न्यायालय के लिए एवं एक पेन ड्राईव आरोपी के लिए एवं एक पेन ड्राईव एफ.एस.एल. से नमूना आवाज मिलान के लिए पृथक—पृथक कपड़े की थैलियों में बन्द कर सील मोहर की गई एवं कपड़े की थैली पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिए अनसील्ड ही रखी गई। तैयारशुदा चार पेन ड्राईव को कब्जे एसीबी लिया गया। उक्त समस्त रिकॉर्ड वार्ताओं की हैश वैल्यू निकलवाई जाकर प्रिंट लिया गया तथा उक्त प्रिंट पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाए गए। कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर फर्द पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। समय 3.50 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस, मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय श्री पृथ्वीराज मीणा, पुलिस निरीक्षक, श्री असलम खान सउनि, श्री नरेश यादव कानि 0 144, श्री गिरिराज कानि. 387, श्री पवन कुमार कानि. 272 मय प्राईवेट वाहन मय सरकारी व प्राईवेट मोटसाईकिल, गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री राधेश्याम गुप्ता, सहायक अभियंता, बरामदशुदा रिश्वत राशि का लिफाफा, आरोपी के हाथों के धोवन एवं दराज(रैक) के स्वाब के धोवन की 06 शीशियाँ व शील्डशुदा पेन ड्राईव—03 व एक अनशील्ड पेनड्राईव, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय पत्रावली ट्रैप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर के एसीबी कार्यालय के लिए रवाना हुआ। परिवादी को सकुशल रूखसत किया गया। समय 4.10 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस उक्त फिकरा का रवानाशुदा कार्या. भ.नि.ब्यूरो कोटा देहात पहुँचा। जहाँ प्रकरण के समस्त जब्तशुदा आर्टिकल्स को श्री गिरिराज कानि. 387 को सुपुर्द कर मालखाना में सुरक्षित जमा करवाये गये। दोनों गवाहान को सकुशल रूखसत किया गया।

उपरोक्त समस्त कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री मुकेश सिंह सिसोदिया की फर्म सिसोदिया कन्स्ट्रक्शन द्वारा राजकीय छात्र आवासीय विद्यालय मण्डाना में किये गये रिपेयरिंग कार्यों के बिल पास करने की एवज में आरोपी श्री राधेश्याम गुप्ता, सहायक अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड कोटा द्वारा रिश्वत राशि 80,000हजार व परिवादी द्वारा आरोपी के कहे अनुसार टेबिल नहीं बनाकर देने के बदले 5000रु, कुल रिश्वती राशि 85,000रुपये की मांग की गई। रिश्वत मांग की पुष्टि होने पर दिनांक 21.09.23 को ट्रैप कार्यवाही का आयोजन कर आरोपी श्री राधेश्याम गुप्ता, सहायक अभियंता को रिश्वत राशि 85,000रुपये प्राप्त करते हुए गिरफ्तार किया गया। आरोपी द्वारा परिवादी श्री मुकेश सिंह सिसोदिया की फर्म सिसोदिया कन्स्ट्रक्शन के बिल का भुगतान करने की एवज में रिश्वत राशि की मांग करना, रिश्वत मांग सत्यापन वार्तानुसार 85,000रुपये प्राप्त करना, रिश्वत राशि आरोपी की टेबल में बनी दराज (रैक) से बरामद होना, आरोपी के दाहिने हाथ की अगुलियों व अंगूठे की धुलाई के धोवन का रंग हल्का गुलाबी व दराज के स्वाब के फोए के धोवन का रंग गहरा गुलाबी प्राप्त होने से आरोपी का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रमाणित पाया गया है।

आरोपी श्री राधेश्याम गुप्ता द्वारा श्रीमति शाजिया खान कनिष्ठ अभियंता तथा श्री शिवराम जाटव अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड कोटा के लिए भी डेढ़—डेढ़ प्रतिशत कमीशन राशि लेना स्वीकार किया है। अतः उक्त दोनों की भूमिका संदिग्ध है, जो अनुसंधान से स्पष्ट हो सकेगी।

इत्यादि सम्पूर्ण तथ्यों से आरोपी श्री राधेश्याम गुप्ता पुत्र श्री स्व. फूलचंद जाति महाजन उम्र 58 साल निवासी मकान नं. 7 डी 15, महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा शहर हाल सहायक अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड कोटा द्वारा जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधि. 1988 (यथा संशोधित 2018) अपराध कारित करना पाया जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में प्रेषित है।

(विजय सिंह)
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
कोटा देहात

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विजय सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा देहात, कोटा ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राधेश्याम गुप्ता पुत्र स्व0 श्री फूलचंद, सहायक अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड कोटा के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 258/2023 उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।


(रणधीर सिंह)

उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक:-2848-51 दिनांक 22.09.2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
3. सचिव, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा देहात, कोटा।


उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।